उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-58/2020/807/92-2-20-50(जांच)/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 06 मार्च, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ में वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान कराये गये निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जांच आख्या दिनांक 06.06.2019 में परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1625/92-2-19-50(जांच)/2017, दिनांक 23.07.2019 द्वारा श्री एस0के0 जैन, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियन्ता(पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र दिनांक 30.08.2019 द्वारा जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता(पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को अपचारी अधिकारी श्री एस0के0 जैन के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र प्रेषित करते हुए विधिवत जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या निर्धारित समयावधि में शासन को उपलब्ध करायें जाने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुए जांच आख्या शासन में दिनांक 03.02.2020 को उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा श्री एस0के0 जैन के विरूद्ध अधिरोपित कुल-4 आरोपों को अपनी जांच आख्या की विवेचना में प्रमाणित नहीं पाया।

3- अपचारी अधिकारी श्री एस0के0 जैन के विरूद्ध अधिरोपित कुल-4 आरोपों को जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना में प्रमाणित नहीं पाया गया है। अत: जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1625/92-2-19-50(जांच)/2017, दिनांक 23.07.2019 द्वारा श्री एस0के0 जैन, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को दण्ड रहित समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-58/2020/807(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता(पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- श्री एस0के0 जैन, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।